भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI – 110 001

संख्या 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस: दिनांक: 29 जून, 2017

सेवा में,

1. समस्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
2. समस्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
3. समस्त राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

विषय: संसदीय / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन–अनुदेश– आदर्श आचार संहिता के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त उद्धृत विषय पर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने इस मुद्दे की समीक्षा की है और इसके पूर्व के निर्देशों के निम्नलिखित संशोधन जारी किए गए हैं-

1. **आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन :**

आयोग के अनुदेश, जो पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2012/सीसीएण्डबीई दिनांक 26.04.2012 और सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसीएण्डबीई दिनांक 21.10.2013 में समाहित हैं, में संबंधित जिले अथवा संबंधित विधानसभानिर्वाचन क्षेत्र/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की अनुप्रयोज्यता के विभिन्न प्रावधानों की सूची दी गई है।इन निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित किया गया है, *यदि निर्वाचन क्षेत्र उस राज्य की राजधानी/ महानगरीय शहर/ नगर निगमों में समाविष्ट है,तो पूर्वोक्त अनुदेश केवल उस संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में आदर्श आचार संहिता को पूरे जिले में, उप-निर्वाचन/ वों के निर्वाचन-क्षेत्र को दायरे में लेते हुए लागू किया जाएगा*।

2. **विज्ञापनों का प्रकाशन :**

आयोग ने 25 जून, 2013 को अनुदेशित किया था कि उप-निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रचालन की अवधि के दौरान विज्ञापन जारी करने/ प्रकाशित करने के नियम निम्नानुसार होंगे:-

(i) विशेष अवसरों के संबंध में सामान्य प्रकृति का विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। तथापि, इस तरह के प्रकाशन को केवल विशेष अवसर के साथ मेल खाने वाली तिथियों तक ही सीमित किया जाएगा, और यह अन्य दिनों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में किसी भी मंत्री और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के फोटो नहीं होने चाहिए।

(ii) उप-निर्वाचन निर्वाचन-क्षेत्रों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों से कोई भी विशिष्ट/ निर्देशित संदर्भ या अर्थ रखने वाले विज्ञापन,उस अवधि के दौरान किसी भी तिथि पर जारी/ प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन जिलों में उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं, वहां किसी भी नई योजना का विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए। [उक्त उप-अनुच्छेद (ii) संशोधित किया गया है]।

3. **मंत्रियों के दौरे :**

किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, या तो संसदीय अथवा विधान सभाओं के उप-निर्वाचन के दौरान,मंत्रियों के दौरों के संबंध में 23 नवंबर 2007 को आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंधित करते हैं कि :-

(i) सभी मंत्री, चाहे वह केन्द्र या राज्य के हों, उप-निर्वाचनों की घोषणा के पश्चात,किसी भी तरह से अपने आधिकारिक दौरों को निर्वाचन कार्यो के साथ संयोजित नहीं करेंगे। जिला/ जिलों, जहां उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहा है, एवं इसलिए, जहां आदर्श आचार संहिता लागू है, समस्त अथवा कोई भी दौरा प्रकृति में पूरी तरह से निजी होना चाहिए।

(ii) ऐसे मामले में, जहां एक मंत्री सरकारी कार्य से आधिकारिक यात्रा पर अन्य जिले के लिए, रास्ते में किसी ऐसे जिले से होकर निकलता हैजहां उप-निर्वाचन का आयोजन हो रहा है, वह किसी भी राजनीतिक कार्य में शामिल नहीं होगा।

इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रियों या समकक्ष पद। स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा किसी आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अपनी यात्रा के मार्ग में जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, और फिर उस जगह से ऐसे क्षेत्र तक आगे बढ़ना जहां निर्वाचन अभियान के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, अभियान के साथ अपनी आधिकारिक यात्रा को जोड़ा नहीं जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है, तो पूरे यात्रा-व्यय को निर्वाचन खर्च के रूप में माना जाएगा।। उप-पैरा (ii) उपरोक्त संशोधित किया गया है ।

4. **<u>अधिकारियों के स्थानांतरण / पदस्थापना के संबंध में :</u>**

सभी अधिकारियों के लिए, जो राज्य में उप-निर्वाचन के संचालन से जुड़े हुए हैं, के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन पर भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेश लागू होंगे।इस नीति को लागू करते समय, जिला निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी निर्वाचन संबंधित कर्तव्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के किसी भी अधिकारी की तैनाती का मामला, आयोग की स्थानांतरण नीति के अनुरूप होगा।

5. **<u>महंगाई भत्ता की घोषणा के संबंध में:</u>**

उप-निर्वाचन के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग का कोई भी अनुदेश नहीं है, जो कि सरकारों को ऐसे निर्णय लेने से प्रतिबंधित करता है जिनका राज्य पर और इसके परिणामस्वरूप संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ता है।

आयोग ने इस संबंध में सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा नियमित कार्य के रूप में महंगाई भत्ते की घोषणा की जा सकती है परंतु इसे सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए।

कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें और उचित प्रचार करें एवं इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह./-
(आर.के. श्रीवास्तव)
वरि. प्रधान सचिव

अनुदेश क्र.सं. 14

भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 437/6/अनुदेश/2012/सीसीएण्डबीई दिनांक 26 अप्रैल 2012 मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगालके मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित। प्रतिलिपि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों/महासचिवों को पृष्ठांकित।

विषय:- लोकसभा / राज्य विधान सभाओंहेतु उप-निर्वाचन–आदर्शआचार संहिता लागू करने के अनुदेश के संबंध में।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने 14 अप्रैल, 2010 के प्रेस नोट द्वारा विभिन्न राज्यों में कुछ संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों की घोषणा की गई है। उक्त प्रेस नोट में आयोग ने आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों को उनकी पूर्णता में लागू करने के अनुदेशइस शर्त के साथ जारी किए हैं कि आदर्शआचार संहिता के ऐसे प्रावधान उस जिले(लों) में लागू हो सकते हैं, जिसमें विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं।

अनेक राज्य प्रशासनों ने उप-निर्वाचन के दौरान पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता को लागू करने के मुद्दे पर आयोग से पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया है क्योंकि यह पूरे जिले में विकास कार्यों को प्रभावित करता है, जबकि जिले का केवल एक ही भाग निर्वाचन प्रक्रिया में संबद्ध हो सकता है।

आयोग ने इस संबंध में सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्रयोगात्मक आधार पर यह निर्णय लिया है किप्रेस नोट दिनांक 14/4/2010 के माध्यम से घोषित उप-निर्वाचनों के लिए, पूर्व के निर्देशों के आंशिक संशोधन में, आदर्श आचार संहिता के संबंध में अधोलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा: -

(1) **मनरेगा की योजनाओं का कार्यान्वयन;प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, पेयजलके मामले में राहत प्रदान करना और नलकूपों की खुदाई, चारा, कृषि आदानों और किसानों को आदान सहायिकी, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, विधायक और विधायी परिषद सदस्यस्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कार्य सहित नए विकास कार्य (चाहे लाभार्थी या कार्य उन्मुख) आरंभ करना; नई परियोजनाओं की घोषणा एवं प्रारंभ,कार्यक्रम, रियायतें, वित्तीय अनुदान, संपत्ति का विरूपण;शासकीय संपत्ति का उपयोग, रियायतें, वित्तीय अनुदान, संपत्ति का विरूपण; अभियान प्रयोजन आदि हेतु शासकीय संपत्ति का विरूपण के विनियमन के संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदेशअब केवल उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र(त्रों) / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में के संबंध में लागू होंगे जहां उप-निर्वाचनकराए जाने हैं और न कि पूरे जिले(लों) में,जिसमें ऐसे निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं।**

(2) **हालांकि, मंत्रियों के दौरों, वाहनों, विज्ञापनों, शासकीय अतिथि गृहों के उपयोग जैसे मामलों पर आयोग के आदर्श आचार संहिता पर अन्य सभी प्रचलित अनुदेश,अनुच्छेद (1)में उल्लिखित, अधिकारियों के स्थानांतरण के अलावा, उस पूरे जिले(लों) में लागू होंगे जहां उप-निर्वाचनवाला निर्वाचन क्षेत्र स्थित है।**

कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें।

अनुदेश क्र.सं. 15

भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 437/6/अनुदेश/2013/सीसीएण्डबीई दिनांक 11/10/2013 :मंत्रिमंडल सचिव,समस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित।

विषय:- संसदीय / राज्य विधान सभाओंहेतु उप-निर्वाचन–आदर्शआचार संहिता लागू करने के अनुदेशके संबंध में।

संसदीय / राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों के लिए आदर्शआचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने परआयोग के विद्यमान अनुदेश सं.437/6/अनुदेश/2010/सीसीएण्डबीई दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के आंशिक संशोधन में, आयोग ने निर्देशित किया है कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत (i) राहत कार्यों सहित समस्त विकास कार्यों के संबंध में प्रतिबंधएवं (ii) अधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध (जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक एवं निर्वाचन के आचरण से प्रत्यक्ष संबंधित अन्य अधिकारियों को छोड़कर) केवल उप-निर्वाचन वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र(त्रों) / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र(त्रों) में ही लागू होंगे, न कि पूरे जिले में, जिसमें इस तरह का निर्वाचन क्षेत्र स्थित है।

कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें।

अनुदेश क्र.सं. 36

भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 437/6/अनुदेश/ 2013/सीसीएण्डबीई दिनांक 16/06/2013 :मंत्रिमंडल सचिव,समस्त राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित।

विषयः- आदर्श आचार संहिता – संसदीय / राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचनों के दौरान केन्द्र / राज्य सरकारों द्वारा विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

जैसा कि आप जानते हैं, संसदीय निर्वाचनों के मामले में आदर्श आचार संहिता संपूर्ण राष्ट्र में एवं किसी भी राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के दौरानसंबंधित राज्य में लागू होती है।उप-निर्वाचनों के मामले में, आदर्श आचार संहिता की अनुप्रयोज्यताकुछ प्रावधानों, जैसे कि मंत्रियों के दौरे, विज्ञापन, शासकीय विश्राम गृह का उपयोग, अधिकारियों का स्थानांतरणइत्यादि को छोड़करमतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में सीमित है, जो कि उस संपूर्ण जिले में लागू होती है जिसके अंतर्गत उप-निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र आता है। (कृपया आयोग का पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2013/सीसीएण्डबीईदिनांक 16-4-2013 देखिए) ।

1. यह देखा गया है कि केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही,उपलब्धियों और सफलताओं पर विज्ञापन सहित विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करती हैं।ऐसे विज्ञापन प्रायः विशेष अवसरों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विशिष्ट नेताओं के जन्मदिवस, सरकार की वर्षगांठ आदि पर जारी किए जाते हैं। कुछ अवसरों पर, जबकि उप-निर्वाचन चल रहे हों और विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं, ऐसे में आदर्श आचार संहिता के मुद्दे पर प्रश्न उठता है।उप-निर्वाचनों के दौरान आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट क्षेत्रों मेंऐसे विज्ञापनों को ब्लॉक करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया में, जबकि इनका प्रकाशन अन्य स्थानों पर किया जा रहा हो।

2. आयोग ने इस मुद्दे पर विचार किया है। मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अनुदेशित किया है कि उप-निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रचालन की अवधि के दौरान सरकारी खजाने की लागत पर विज्ञापन जारी करने / प्रकाशित करना निम्नानुसार विनियमित किया जाएगाः-

(i) विशेष अवसरों के संबंध में सामान्य प्रकृति का विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। तथापि, इस तरह के प्रकाशन को केवल विशेष अवसर के साथ मेल खाने वाली तिथियों तक ही सीमित किया जाएगा, और यह अन्य दिनों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में किसी भी मंत्री और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के छायाचित्र नहीं होने चाहिए।

(ii) उप-निर्वाचन निर्वाचन-क्षेत्रों के दायरे में लिए गए क्षेत्रों से कोई भी विशिष्ट/ निर्देशित संदर्भ या अर्थ रखने वाले विज्ञापन, अवधि के दौरान किसी भी तिथि पर जारी/ प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

4. यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह अनुदेशकेवल उप-निर्वाचनों के संबंध में लागू होते हैं। साधारण निर्वाचनों में, सरकारी खजाने की लागत पर विज्ञापन के प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।

5. इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाए और भविष्य में इसके अनुपालन के लिए समस्त संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

अनुदेश क्र.सं. 81

भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 437/6/अनुदेश/2007-पीएलएन-III दिनांक 23 नवंबर 2007 :भारत सरकार के मंत्रिमंडलीयसचिव,सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित।

विषयः- मंत्रियों के दौरे –साधारण निर्वाचन।

संदर्भः- 1. आयोग का पत्र सं. 437/6/96/पीएलएन-III दिनांक 17.01.1996
2. आयोग का पत्र सं. 437/6/99 -पीएलएन-III दिनांक 15.07.1999
3. आयोग का पत्र सं. 437/6/4/2003 -पीएलएन-III दिनांक 12.06.2003

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रियों द्वारा राज्य(यों) ,जहां निर्वाचन हो रहे हैं या घोषित किए गए हैं और आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हैं, का निर्वाचन के संबंध में दौरा किया जा सकता है।एक सम-स्तरीय मुकाबले को सुनिश्चित करने के लिए, जो कि मुक्त और निष्पक्ष निर्वाचनकी पूर्व-शर्त है, आयोग द्वारामंत्रियों के ऐसे दौरों को नियंत्रित करने हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं और कुछ दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए हैं कि इस तरह के दौरा करने वाले गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी निर्वाचन से संबंधित कार्य में आधिकारिक मशीनरी को काम में नहीं लिया जाता है।इन्हेंनरेंद्र कुमार गौर बनाम भारत निर्वाचन आयोग के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 16.08.99 को रिट याचिका सं. 339/1999 में बरकरार रखा है।

2. उपरोक्त संदर्भ में वर्णित पत्रों में निहित आयोग के निर्देशों को अधोलिखित अनुच्छेद में सुविधा के लिए समेकित किया गया हैः-

(1) यदि एक केंद्रीय मंत्री अपने मुख्यालय से एक विशुद्ध आधिकारिक कार्य पर एक निर्वाचन-बाध्य राज्य/ जिले के लिए यात्रा कर रहा है,जिसे सार्वजनिक हित में टाला नहीं जा सकता है, तो इस आशय को प्रमाणित करता हुआ एक पत्र भारत सरकार के संबंधित विभाग/ मंत्रालय के सचिव द्वारा उस राज्य के मुख्य सचिव को जहां मंत्री का दौरा करने का प्रयोजन है, आयोग को भी इसकी एक प्रति देते हुएभेजा जाना चाहिए।सचिव से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर कि केंद्रीय मंत्री द्वारा केवल आधिकारिक यात्रा का विचार दिया गया है और इस तरह के दौरे के दौरान किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक गतिविधि की परिकल्पना नहीं की जाती है,मुख्य सचिव, केंद्रीय मंत्री को एक सरकारी वाहन और आवास प्रदान कर सकते हैं और उनकी आधिकारिक यात्रा के लिए अन्य सामान्य शिष्टाचारों को विस्तारित कर सकते हैं।ऐसा करते समय, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, जिसे राज्य में चुनावी गतिविधियों का निगरानी कार्य, आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन सहित सौंपा गया है, मुख्य सचिव द्वारा अग्रिम में सूचित किया जाएगा।आयोग अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से इस तरह के प्रबंधों का पर्यवेक्षण करेगा। यह आशा की जाती है कि केंद्रीय मंत्री अपने गृह राज्यों, निर्वाचन राज्यों और विशेषकर उन निर्वाचन क्षेत्रों के आधिकारिक दौरों का परिहार करेंगेजहां से वे निर्वाचन लड़ रहे हैं, जबकि उनकी निजी यात्राओं पर यह प्रतिबंध नहीं है।(भारत निर्वाचन आयोग का अनुदेश सं. 437/6/99 -पीएलएन।।। दिनांक 15.07.99 देखिए)

(2) आयोग यह भी अनुदेशित करता है कि -

(i) किसी भी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जिसके लिए आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए गए हैं,निर्वाचन की घोषणा के साथ आरंभ होकर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार का कोई भी मंत्री आधिकारिक दौरा नहीं करेगा।

(ii) मंत्रीउस निर्वाचन क्षेत्र या राज्य, जिसमें किसी भी निर्वाचन की घोषणा की गई है, के निर्वाचन संबंधित किसी भी अधिकारीको निर्वाचनों की अवधि के दौरान, निर्वाचनों की घोषणा के साथ आरंभ होकर निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण समाप्त होने तक उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या बाहर किसी भी स्थानया कार्यालय या अतिथिगृह में किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए नहीं बुलाएंगे।

(iii) इन निर्देशों का एकमात्र अपवाद तभी होगा जब कानून और व्यवस्था की विफलता के संबंध मेंया किसी प्राकृतिक आपदा की घटनाया किसी ऐसी आपात स्थिति में जिसमें ऐसे मंत्रियों/ मुख्य मंत्रियों की पर्यवेक्षण की समीक्षा/ बचाव/ राहत और अन्य इसी तरह के प्रयोजनों के विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होती है;कोई मंत्री, संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में उनकी हैसियत से, या किसी मुख्यमंत्री द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र में आधिकारिक यात्रा की जाती है, या निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी निर्वाचन संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र के बाहर एक स्थान पर बुलाया जाता है। (भारत निर्वाचन आयोग का अनुदेश सं.437/6/96/पीएलएन ।।। दिनांक 17.01.96 देखिए)

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्री अपने मुख्यालयों मेंआधिकारिक कार्य के लिए उनके निवास स्थान से उनके कार्यालय तक अपने आधिकारिक वाहनों का उपयोग करने के अधिकारीहैंबशर्ते कि इस तरह के परिवहन किसी भी निर्वाचन या किसी राजनीतिक गतिविधि के साथ जुड़ा नहीं है, जिसमें दल के कार्यालय का दौरा भी शामिल होगा, भले ही वह मार्ग में स्थित हो।अपनी उपस्थिति को विशिष्ट बनाने के लिए कोई भी मार्गदर्शी कार(कारें) या किसी भी रंग के बीकन-प्रकाश वाली कार(कारें) या किसी भी प्रकार के साइरन लगी कार(कारें) का किसी भी मंत्री द्वारा उनकी निर्वाचन संबंधी यात्रा के दौरे के दौरान उपयोग नहीं किया जाएगा,भले ही राज्य प्रशासन ने उन्हें इस तरह की यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए सशस्त्र कर्मियों की उपस्थिति की आवश्यकता हेतु सुरक्षा दायरा प्रदान किया हो।(भारत निर्वाचन आयोग का अनुदेश सं. 437/6/96/पीएलएन ।।। दिनांक 17.01.96 देखिए)

(4) उप निर्वाचनों के दौरान किसी भी निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय या विधानसभा से, मंत्रियों के दौरों के संबंध में उक्त पैरा 3(iii) में उल्लिखित अपवादों के अधीन,गंभीर आपातकालीन स्थिति को दायरे में लेते हुए,निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे:-

(i) सभी मंत्रियों, चाहे केन्द्रीय या राज्य, किसी भी तरह से उप-निर्वाचनों की घोषणा के बाद निर्वाचन कार्य के साथ उनके आधिकारिक दौरों को संयोजित नहीं करेंगे। वे अपने आधिकारिक दौरों के पूरा होने पर अपने मुख्यालय में वापस आ जाएंगे। उस जिले(जिलों),जहां उप-निर्वाचन आयोजित किया जा रहा है औरआदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए दौरे प्रकृति में पूरी तरह से निजी होने चाहिए और इस तरह की निजी यात्राएं मंत्री के मुख्यालय से आरंभ होकर मुख्यालय पर समाप्त होनी चाहिए।

(ii) ऐसे मामले में, जहां एक मंत्री शासकीय कार्य से आधिकारिक यात्रा पर किसी अन्य जिले की ओर जाते हुए रास्ते में ऐसे जिले(जिलों) से होकर गुजरता है, जहां उप-निर्वाचन आयोजित किया जा रहा है, वह ऐसे जिला(जिलों) में नहीं रुकेंगे, जहां आदर्श आचार संहिता लागू है और किसी भी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेंगे।

(iii) किसी भी जिले में, जहां उप-निर्वाचन आयोजित किया जा रहा है, मंत्री द्वारा किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए जिला(जिलों) के किसी भी पद के किसी भी अधिकारी को नहीं बुलाया जाएगा, अर्थात अन्य जिलों में भी नहीं, जहां निर्वाचन नहीं हो रहे हैं।

(iv) कोई अधिकारी, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं, मंत्री से उनकी निजी यात्रा पर मिलते हैं, संबंधित सेवा नियमों के तहत कदाचार का दोषी होगा;और अगर वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) में उल्लिखित अधिकारी होता है,उसे अतिरिक्त रूप से उस धारा के वैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और इसके उपबंधों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(v) अपनी उपस्थिति को विशिष्ट बनाने के लिए कोई भी मार्गदर्शी कार(कारें) या किसी भी रंग के बीकन-प्रकाश वाली कार(कारें) या किसी भी प्रकार के साइरन लगी कार(कारें) का किसी भी मंत्री द्वारा अपनी उस निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर जहां एक उप-निर्वाचन चल रहा है, उपयोग नहीं किया जाएगा,भले ही राज्य प्रशासन ने उन्हें इस तरह की यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए सशस्त्र कर्मियों की उपस्थिति की आवश्यकता हेतु सुरक्षा दायरा प्रदान किया हो। भारत निर्वाचन आयोग कीअनुदेश सं. 437/6/4/2003 पीएलएन III दिनांक 12.06.03 देखिए)

(3) आयोग आगे यह अनुदेशित करता है किजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के किसी भी मंत्री या किसी भी केंद्रीय मंत्री द्वारा उस जिले जहां उप-निर्वाचन हो रहे हैं, के प्रस्तावित किसी भी दौरे के बारे में अग्रिम रूप से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिन्हें राज्य में चुनावी गतिविधियों की निगरानी के कार्य को आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन सहित सौंपा गया है, कोसूचित किया जाएगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसकी संसूचना निर्वाचन आयोग को तत्काल दी जाएगी।(भारत निर्वाचन आयोग का अनुदेश सं. 437/6/4/2003 - पीएलएन III दिनांक 12.06.03 देखिए)

(3) इन अनुदेशों के किसी भी उल्लंघन को न केवल आदर्श आचार संहिता के, बल्कि लोगों की सही पसंद को प्रतिबिंबित करने वाले शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान को सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा आवश्यक समझे गए ऐसे निर्देशों को प्रख्यापित करने के इसके अधिकार के भी घोर उल्लंघन के रूप में लिया जाएगा और उस पर विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के गुण-दोष के आधार पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो आयोग द्वारा उपयुक्त मानी जाएगी।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लोकसभाकेसाधारणनिर्वाचनके दौरानिर्वाचन अभियानसेसंबंधितमंत्रियोंकेदौरे

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जब भी लोकसभा निर्वाचन होते हैं,निर्वाचन अभियान के संबंध में मंत्रियों द्वारा किए गए दौरों के बारे में संसद में निरपवाद रूप से प्रश्न उठाए जाते हैं।उत्तर में, एक सामान्य नीति के रूप में, यह सदैव स्पष्ट किया जाता है कि विद्यमान निर्देशों के अनुसार, निर्वाचन अभियान के संबंध में दौरों को शासकीय दौरों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग निर्वाचन कार्यों के दल के लिए नहीं किया जा सकता है।गृह मंत्रालय समय-समय पर निर्वाचनदौरों सहित गैर-शासकीय उद्देश्यों के लिए मंत्रियों के दौरों के संबंध में अनुदेश जारी करता आ रहा है। इन निर्देशों का संक्षिप्तीकरण किया गया था और इसकी प्रतिलिपि लोकसभा की मेज पर 31 जुलाई, 1970 को रखी गई थी।चूंकि लोकसभा के साधारण निर्वाचन नवंबर-1989 में होने हैं, इन निर्देशों के सारांश की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि इसकी विषय-वस्तु मंत्रियों के ध्यान में लाई जा सकती है।

निर्वाचन संबंधी दौरों सहित गैर-शासकीय उद्देश्यों के लिए मंत्री के दौरों के संबंध मेंअनुदेश, समय-समय पर जारी की गई एवं पुन: जारी की गई संसूचनाओं में निहित हैं।

<u>सामान्य अनुदेश</u>

(1) जब तक कोई मंत्री पद का त्याग नहीं करता तब तक वह सार्वजनिक मामलों के प्रभारी होते हैं और तदनुसार दौरे पर भी होते हैं, चाहे वह सरकारी या निजी उद्देश्यों के लिए हो, उन्हें मंत्री के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन जारी रखना चाहिए अत:

(अ) वह इस प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यक्तिगत कर्मचारी ले सकते हैं और ऐसे कर्मचारी नियमों के तहत यात्रा और दैनिक भत्ता आहरित करने के पात्र हैं; तथा

(ब) जब वह किसी भी स्थान का दौरा करते हैं, जिलाधिकारी को सामान्य शिष्टाचारों और सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

(2) एक मंत्री केवल सरकारी प्रयोजनों के लिए किए गए दौरों के संबंध में यात्रा और दैनिक भत्ता का दावा कर सकता है, अर्थात वह दौरे, जोवास्तव में कर्तव्यों द्वारा आवश्यक हैं और वह मुख्यालय में निष्पादित नहीं कर सका।यदि कोई आधिकारिक दौरा मंत्री के निजी कार्य के साथ मिलाकर किया जाता है, जिसमें दलीय कार्य भी सम्मिलित है, और उसे इस प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त यात्रा करनी है, तो वह अतिरिक्त यात्रा के लिए किसी भी यात्रा भत्ते का पात्र नहीं है।यदि कोई मंत्री शासकीय दौरे के दौरान निजी कार्य के लिए विशेष रूप से अपने पड़ाव के किसी भी दिन को अनन्य रूप से समर्पित करता है,वह उस दिन के लिए दैनिक भत्ते का पात्र नहीं हैं।

<u>निर्वाचन संबंधी दौरों के बारे में विशेष अनुदेश</u>

(1) जब भी कोई मंत्री यह निर्णय लेता है कि जिस बैठक को उनके द्वारा संबोधित किया जाने वाला है,वह एक निर्वाचन संबंधी बैठक है, वहां उन्हें अपनी ओर से गैर-आधिकारिक रूप से व्यवस्था करने के लिए कहना चाहिए न कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा।चुनावी दौरों के दौरान, शासकीय बैठकें यदा-कदा ही होंगी और आमतौर पर सार्वजनिक बैठकों को निर्वाचन संबंधी बैठक माना जाना चाहिए एवं और कानून और व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित उन सभी व्ययों को छोड़कर अन्य सभी व्यय, निजी तौर पर वहन किए जाते हैं।

(4) *निर्वाचन बैठकों में अधिकारियों की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मंत्रियों के लिए सामान्य सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित होना चाहिए।*

(5) *ऐसी यात्राएं, जिनका मुख्यप्रयोजन चुनावी अभियान के लिए हैं, के लिए मंत्रियों द्वारा कोई यात्रा व्यय या दैनिक भत्ता प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रकल्पित किया जाएगा कि निर्वाचन से पहले कुछ सप्ताहों तक, दौरे पर मंत्रियों की गतिविधियां उनके आधिकारिक कर्तव्यों की अपेक्षा निर्वाचन से बहुत अधिक संबंधित हैं।*

(6) *नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए मंत्री द्वारा की गई एक यात्रा और उनके निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले अनुवर्ती दौरों को चुनावी प्रयोजनों हेतु किया जाना मानना चाहिए।*

(7) *यदि एक मंत्री, जो अपने स्वयं के खर्चों पर चुनावीप्रयोजनों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता है, और उसे कार्य हेतु किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता है,वह अपने मुख्यालय से दूसरे स्थान तक के लिए और वापस मुख्यालय तक आने हेतु स्वीकार्य राशि तक सीमित यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।यदि उन्हेंनिर्वाचन संबंधी कार्य बाधित करते हुए स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र से जनहित में मुख्यालय लौटना पड़ता है,वह केवल वापसी का वायु या रेल किराए का दावा कर सकता है। समस्त मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठकों में उपस्थिति स्वाभाविक रूप से जनहित में सम्मिलित होगी। मुख्यालय में अन्य बैठकों या सम्मेलनों से यथासंभव बचा जाना चाहिए।*

(8) *जहां राज्य के व्ययों पर विशेष रूप से एक मंत्री को कार प्रदान की गई है, इस कार को निर्वाचनप्रयोजनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।भले ही जहां एक कार राज्य द्वारा प्रदान की जाती है,परंतु मंत्री को वाहन के रखरखाव के लिए एक भत्ता दिया जाता है, इस तरह के वाहन का उपयोग चुनावी प्रयोजन हेतु करना वांछनीय नहीं है।*